

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 738 / 31030वि0 / पंजीकरण "सी" श्रेणी / 18-19

दिनांक 27-18


पंजीकरण सं० 07 / 2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

शै.पंकज कुमार केशरवानी पुत्र श्री मुन्ना लाल केशरवानी, ग्राम म्योहरा दारानगर, तहसील सिराधू, जनपद कौशांबी को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.06.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि कलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं निवृत्तानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट- ठेकेदार को पंजीकरण/स्वीकृतकरण कराने के उपरान्त इस विभाग के सिविल के अन्तर्गत अधिकारों का पंजीकरण कराना एवं तहसील प्राप्त करना अनिवार्य है।



अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद
25/7/18

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिराशी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड फतेहपुर को भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिराधू कौशांबी द्वारा निर्गत एसटी0डी0आर0 खाता क्रमांक0-34904756015 दिनांक 01.05.2015 जमा धनराशि ₹0 1,00,000.00 जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम कंधक है, तथा आपके प्रखण्ड में सुरक्षित है को जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक कंधक मुक्त न करें।
3. शै.पंकज कुमार केशरवानी पुत्र श्री मुन्ना लाल केशरवानी, ग्राम म्योहरा दारानगर, तहसील सिराधू, जनपद कौशांबी द्वारा अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड फतेहपुर।

नीचे प्राप्त हुआ
पंजीकरण केशरवानी


अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।
25/7/2018